



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244965
CG-DL-E-06042023-244965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530]

No. 1530]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1608(अ).—भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो—धामरा पाइप लाइन (जे एच बी डी पी एल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती हैं, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे.एच.बी.डी.पी.एल.) एवम स्पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट								
दुर्गापुर-हल्दिया, सेक्सन -3 बी								
राज्य - पश्चिम बंगाल								
जिला	ब्लॉक	मौजा	थाना नं.	नक्शा	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
हुगली	सिंगुर	नसिबपूर	90	एल.आर.	4078	0	00	67
हुगली	मोगरा चिनसुरा	दिगसुई	12	आर.एस.	4077	0	01	06
					4020	0	02	57
					3243	0	03	56
हुगली	मोगरा चिनसुरा	दिगसुई	12	आर.एस.	3244	0	00	63
					3241	0	04	58
					5151	0	00	67
हुगली	पोलबा-दादपुर	पायराडांगा	78	एल.आर.	375	0	10	18
हुगली	पोलबा-दादपुर	दोगछिया	92	आर.एस.	376	0	00	01
					377	0	10	32
					380	0	03	47
					572	0	07	28
					381	0	05	82
					382	0	10	04
					395	0	06	24
					394	0	05	05
					393	0	08	78
					392	0	12	62
					390	0	00	36
					193	0	05	64
					196	0	11	80
हुगली	पोलबा-दादपुर	दोगछिया	92	आर.एस.	261	0	14	41
					258	0	02	91
					262	0	05	38
					267	0	09	47
					266	0	05	27
					279	0	06	02
					280	0	01	34
					278	0	07	40
					277	0	07	99
					276	0	07	35
					305	0	00	10
					307	0	06	11
					306	0	01	00
					308	0	09	02
					309	0	06	20
					310	0	02	51
					318	0	01	00
					313	0	04	23
					314	0	04	69
					315	0	08	83
					316	0	00	63
					312	0	13	08
					557	0	06	36
					558	0	02	56

[फा. सं. एल-14014/178/2022-जीपी-II(ई-44112)]

एम. आर. नाज़मी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1608(E).—Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through **Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline**, in the State of **West Bengal**, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited.

SCHEDULE

JAGDISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA PIPELINE (JHBDPL) PROJECT & SPUR PIPELINE PROJECT								
DURGAPUR-HALDIA, SECTION -3B								
State: West Bengal								
District	Block	Mouza	J.L. No.	Map	Plot	Area		
						Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6	7		
Hooghly	Singur	Nasibpur	90	LR	4078	0	00	67
					4077	0	01	06
					4020	0	02	57
Hooghly	Mogra-Chinsurah	Digsui	12	RS	3243	0	03	56
					3244	0	00	63
					3241	0	04	58
Hooghly	Polba - Dadpur	Payradanga	78	LR	5151	0	00	67
					375	0	10	18
					376	0	00	01
Hooghly	Polba - Dadpur	Dogachhiya	92	RS	377	0	10	32
					380	0	03	47
					572	0	07	28
					381	0	05	82
					382	0	10	04
					395	0	06	24
					394	0	05	05
					393	0	08	78
					392	0	12	62
					390	0	00	36
					193	0	05	64
					196	0	11	80
Hooghly	Polba - Dadpur	Dogachhiya	92	RS	261	0	14	41
					258	0	02	91
					262	0	05	38
					267	0	09	47
					266	0	05	27
					279	0	06	02
					280	0	01	34
					278	0	07	40

	277	0	07	99
	276	0	07	35
	305	0	00	10
	307	0	06	11
	306	0	01	00
	308	0	09	02
	309	0	06	20
	310	0	02	51
	318	0	01	00
	313	0	04	23
	314	0	04	69
	315	0	08	83
	316	0	00	63
	312	0	13	08
	557	0	06	36
	558	0	02	56

[F. No. L-14014/178/2022-GP-II(E-44112)]

M. R. NAZMI, Under Secy.